राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं
(महिला एवं बाल विकास विभाग)

क्रमांक: एफ.1(6)( )स्था/NTT/ICDS/22/9710-42 जयपुर, दिनांक 20-01-23

समस्त उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग

विषय : पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों को शिक्षा विभाग में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने बाबत।
प्रसंग : पूर्व संयुक्त आदेश दिनांक 12.01.2023 एवं विभागीय पत्र दिनांक 13.01.2023 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के कम में आदेश दिनांक 12.01.2023 में संलग्नक सूची में उल्लेखित पदस्थापित स्थान पर कुछ कार्मिकों ने कार्यग्रहण नही किया है जिसके कारण कार्यग्रहण/कार्यमुक्त करने में कठिनाई आ रही है। साथ ही बाल विकास परियोजना अधिकारियों के अधिनस्थ पदस्थापित कार्मिकों मे से कुछ कार्मिकों के नाम भी सूची मे शामिल नही होने की सूचना प्राप्त हुई है।

उक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि :-

1. उक्त सूची के अतिरिक्त भी अपने अधिनस्थ पदस्थापित हो तो उन पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों को आदेशानुसार उन्हे वर्तमान पदस्थापित/कार्यरत स्थान से ही संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) में कार्यग्रहण करने हेतु अविलम्ब कार्यमुक्त करें।
2. यह भी सुनिश्चित किया जावे कि अपने अधिनस्थ पदस्थापित कोई भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक अब विभाग में कार्यरत नही रहे।
3. सूची में उल्लेखित स्थान से भिन्न स्थान पर कार्यरत कार्मिकों को वर्तमान पदस्थापित/कार्यरत स्थान से ही संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) के लिए कार्यमुक्त करें।

उक्त कार्मिकवार सम्पूर्ण विवरण के साथ सूची निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर/संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा को उपलब्ध कराते हुए निदेशालय को भी भिजवाना सुनिश्चित करावें।

उप निदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: एफ.1(6)( )स्था/NTT/ICDS/22/9743-10078 जयपुर, दिनांक 20-01-23
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) को उक्तानुसार कार्यग्रहण कराने हेतु निर्देशित करावें।
2. निजी सचिव, निदेशक, आईसीडीएस, राज., जयपुर।
3. उपनिदेशक एवं एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी को पालना सुनिश्चित हेतु।

उप निदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर।

D/court case/letter/474